

क्रमांक:-प 13(2)साप्र/2/2013

जयपुर, दिनांक: 24/9/21

- आदेश -

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं में सरपंच एवं वार्ड पंचों के रिक्त पदों पर उप चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया (प्रति संलग्न) है। अतः मतदान दिवस दिनांक 28.09.2021 (मंगलवार) को होने के कारण संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही उपचुनाव की स्थिति में भी जहां उपचुनाव होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु सम्बंधित जिला कलक्टर, (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल की आज्ञा से

(राजेन्द्र सिंह शंखायत)
डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकाल

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त सचिव (जीबी), मुख्यमंत्री कार्यालय।
8. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
9. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
10. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 4586 दिनांक 17.9.2021 के क्रम में।
11. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिवगण।
12. पंचायती राज विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि चुनाव विभाग से प्राप्त निर्देशों की पालना को सुनिश्चित करावे।
13. निवन्धक राजस्व मण्डल, अजमेर।
14. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
15. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
16. समस्त जिला कलक्टर।
17. पंजीयक राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
18. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
20. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान/समस्त निगम/मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक।
21. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-1,3,4,5,6) विभाग/सम्पदा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
22. प्राध्यापक सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उनके आदेश का सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपडेट कराने का श्रम करावे।
23. संक्षेप प्रकाशनी।

डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकाल

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 7(2)(1)/पंचा/रानिआ/2021/ 4719

दिनांक: 24.09.2021

प्रतिलिपि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलक्टर) राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उपसचिव

राज्य निर्वाचन आयोग